

// निर्णय //

(आज दिनांक 18/10/22 को घोषित किया गया)

Sum 186/22

01. आरक्षी केंद्र पथरिया जिला दमोह द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार शर्मा को विरुद्ध धारा 4(क) पब्लिक गेंबलिंग एक्ट के अंतर्गत अभियोगपत्र पेश किया गया।
02. प्रकरण में अभियुक्त को धारा 4(क) पब्लिक गेंबलिंग एक्ट के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उसे पढ़कर सुनाये समझाए जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदनुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।
03. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवदेन एवं सहपत्रों तथा अभियुक्त द्वारा की गई, स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 4(क) पब्लिक गेंबलिंग एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।
04. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा 4(क) पब्लिक गेंबलिंग एक्ट में परीविक्षा अधिनियम के अंतर्गत, परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त अपराध साधारण प्रकृति का अपराध है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त को कारावास से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है।
05. अतः अभियुक्त को धारा 4(क) पब्लिक गेंबलिंग एक्ट के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास और 300-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
06. अभियुक्त को द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम करने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।
07. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति सहस्रपत्नी राई देवी नष्ट किये जायें; तथा 230-रुपये नगद राजसात किये जावें।

स्थान:-पथरिया
दिनांक:-

मेरे निर्देश पर टंकित।

राजेंद्र बर्मन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया जिला दमोह(म.प्र.)